THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): Mr. Deputy Speaker, with your permission, I make the following statement:

In consequence of information received by the Income-tax Department that certain persons of Jammu and Kashmir have indulged in massive tax evasion and that their unaccounted assets, books of accounts and other valuable documents were secreted in certain premises in Srinagar and elsewhere in the country, action under Section 132 of the Income-tax Act was authorised by the Director of Inspection (Investigation). It is learnt from him that to preserve secrecy, personnel from Delhi and elsewhere were deployed for the searches. The facts ascertained from him indicate that during the search of some of the premises at Srinagar, the occupants of the premises with the help of a crowd collected at these places, attacked the officers engaged in the search operations. The books of accounts which were seized during the search were snatched away. It is reported that the attack took place after Dr. Farooq Abdullah visited the premises which were being searched. During the course of the search, some cash and foreign currency have also been seized.

Some of the officers conducting the search operations have been injured. The Government place on record their deep sense of appreciation of the courage and devotion to duty displayed by the officers in discharging their duties even at the risk of their personal safety.

I have no doubt that all sections of the House will deplore the attack at the behest of tax-evaders on officers who were engaged in the lawful discharge of their duties. During the search of the premises at Delhi, 6 lockers and 3 packets including a steel trunk, kept in the custody of a Bank, were found and their operation has been restrained under Section 132(3) of the Income-tax Act. The extent of unaccounted stock is being determined. Many incriminatory documents which show sales and expenses, not recorded in the books of account, have been found.

In Bombay, large quantities of curios and carpets have been found in the premises connected with these persons.

A clearer picture will emerge after the investigation is completed.

**13.30 hrs.**

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock*

---

*The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at thirtyfive minutes past Fourteen of the Clock.*

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) AMENDMENT BILL—

गृह मंत्री (श्री ज़ैल सिंह) : सभापति जी, इस बिल का, इंट्रोडक्शन स्टेज पर, विरोध करने के लिये 14 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है । विरोध करते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने एक दूसरे के नुक्ते दोहराए हैं, अपनी विद्वता से बात सुनाई है मगर बात वही जो पहले कही गई, उसी को दोहराया गया । फिर भी कुछ प्वाइन्ट्स हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना जरूरी है।

यह कहा गया कि 1976 का ऐक्ट इमर्जेन्सी के दौरान संविधान के आर्टिकल 250 की तहत बना था और 1977 में इमर्जेन्सी खत्म होने पर यह ऐक्ट अपने आप खत्म हो गया था। जब इमर्जेन्सी नहीं है तो पार्लियामेन्ट को स्टेट सब्जेक्ट पर कोई लेजिस्लेशन करने का अधिकार नहीं है । यह बापूसाहब पखलेकर जी ने

प्वाइन्ट उठाया था । फिर आगे यह कहा कि पब्लिक आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के लिए केन्द्र को अधिकार प्राप्त नहीं है । तीसरी बात यह कि संविधान के मुताबिक भारत यूनियन आफ स्टेट है और इस तरमीमी बिल में स्टेट्स के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं । यह बात यहां पर रखी गई थी चौथे—इस बिल से जुडीशियरी के अधिकार खत्म करने का खतरा है । पांचवें—स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो कुछ कहा गया है उसकी आलोचना की गई उसके प्रति भी मैं चाहूंगा कि दोबारा मैं कुछ न कहूं ।

कानूनी, संविधानिक और नैतिक पहलुओं के अलावा बहुत से मेम्बरों ने राजनीतिक टोका-टाकी भी की जो कि इसके साथ बिल्कुल असंगत है और इर्रेलिवेन्ट है । यह भी कहा गया कि इस बिल से इमर्जेन्सी लाई जा रही है और बैक डोर से लाई जा रही है । इमर्जेन्सी तो बैक डोर से नहीं आ सकती, आए तो सीधे ही आती है । यह कहा गया कि सरकार डिक्टेटोरियल अधिकार लेना चाहती है । एक मैम्बर ने खालिस्तान की बात का भी जिक्र किया ।

चेयरमैन साहब, मैं एक एक पहलू पर बड़े अदब से इस सदन के मेम्बरों से कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेशन की कांपिटेन्स पार्लमेन्ट की है । जहां तक इस कानून को बनाने का सम्बन्ध है, पार्लियामेन्ट को संविधान की धारा 246, उपधारा (2) के तहत पूरा अधिकार है । यह मामला सेविंथ शेड्यूल, कान-करेन्ट लिस्ट के अधीन आता है । इस लिस्ट की एन्ट्री नं० (2) और 11(ए) के मुताबिक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को अधिकार दिये गये हैं ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Dimond Harbour): Sir, I am on a point of order.

श्री जैल सिंह : मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना था । No point of order. After my speech you can say something. I have listened to you.

MR. CHAIRMAN: There must be occasion for point of order. He had not said anything, when you were saying.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister say. Please let him reply.

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, मैंने पहले ही कहा था कि एरिया डिस्टर्ब्ड हो न हो, श्री ज्योतिर्मय बसु डिस्टर्ब्ड न हों ।

सभापति महोदय : बसु जी, आप पहले उनको अपनी बात कह लेने दीजिए ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: After his speech, you can speak on your point of order. I will allow you.

श्री जैल सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु से पहले ही मैं प्रार्थना कर चुका हूं कि डिस्टर्ब एरिया होगा या नहीं होगा, लेकिन आप न डिस्टर्ब हों । दोनों को अधिकार दिए गए हैं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अधिकारों को जायज ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला—केसेज 1979, सफा–411, सुप्रीम कोर्ट में साइट किया गया है—

"The challenge to the legislative competence of Parliament to provide for the creation of special courts is devoid of substance. Entry 11(a) of the Concurrent List relates to administration of judiciary, constitution and organisation of all courts except the Supreme

Court and the High Court. By virtue of Article 246, sub-clause 2, Parliament has clearly the power to make law with respect to the constitution and organisation, that is to say, the creation and setting up of special courts. Clause 2 of the Bill is therefore within the competence of the Parliament to make."

चेयरमैन साहब, जो नुक्ता पारूलेकर जी ने उठाया और कहा कि 1976 में जो एक्ट बनाया गया था, वह धारा 250 के तहत बनाया गया था—यह गलत है। यह वह एक्ट, जिसमें आज हम अमेंडमेंट ला रहे हैं वह आर्टिकल–246 के तहत ही बनाया गया था और मैं आशा रखता हूं कि बापू साहब जैसा लर्नेड पर्सन, जो इस बात को अच्छी तरह जानता हो, उन्होंने कमजोर केस की वकालत तो की, अच्छा वकील वकालत भी अच्छी कर सकता है, लेकिन केस उनका बड़ा कमजोर है, यह कहना उनके लिए अच्छा नहीं लगता था। मैं मशकूर हूं, चेयरमैन साहब, अब आप चेयरमैन हैं, उस वक्त आप बोल रहे थे। जब आप बोल रहे थे, उस वक्त आपने भी इस बात को साफ कर दिया था, लेकिन अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था कि कर भी सकते हो, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है, पोलिटिकली ठीक नहीं है। आर्टिकल–246 के क्लाज–2 में लिखते हैं :

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State also have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the Concurrent List')."

अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसकी काम्पीटेन्स पार्लियामेन्ट को है और यह बिल, जो उस एक्ट में अमेण्डमेण्ट करने के लिये लाया गया है, इसका एमर्जेन्सी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

मेरा ख्याल है बापूसाहेब पारूलेकर जी इस बात से सन्तुष्ट हो गये होंगे . . .

**श्री ज्योतिर्मय बसु:** पारूलेकर जी

**श्री जैल सिंह :** मैं कोशिश करता रहा हूं कि उन के नाम का जो प्रोननसियेशन है वह बिल्कुल दुरुस्त हो, मगर मैंने यह सोचकर, चेयरमैन साहब, इस पर ध्यान देना छोड़ दिया कि उन का नाम इतना बड़ा है—हिन्दुस्तान में सब लोग जानते हैं कि सारी भाषाओं में पिता को बापू कहा जाता है और वह बापू-साहब हैं। इसलिये इसी से उन को सन्तोष रहना चाहिये।

कुछ मेम्बरों ने कहा कि "पब्लिक आर्डर" राज्य सरकारों के क्षेत्र में है, इसलिये किसी एरिये को डिस्टर्ब्ड घोषित करना राज्य सरकारों के अधिकारों में दखल देना है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यह "डिस्टर्ब्ड एरिया" किसी और काम के लिये नहीं है, यह केवल इस बात के लिये है कि स्पेशल कोर्ट वहां पर स्थापित करनी हो तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दे सके। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। यह अधिकार राज्य सरकारें इस्तेमाल करेंगी, उन के अधिकार में हम दखल नहीं देंगे, लेकिन इस का फायदा यह होगा कि राज्य सरकारें इस में ढिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगी। जहां राज्य सरकारें डिस्टर्ब्ड एरिया करार देने के बाद स्पेशल कोर्ट स्थापित कर देंगी, वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वह फिर स्पेशल कोर्ट के लिये कुछ कहे। इस का असर यह होगा कि राज्य सरकारें बहुत जल्दी, जहां महसूस करेंगी और जरूरत होगी वहां स्पेशल कोर्ट मुकर्रिर कर देंगी।

'We are unable to appreciate how the conferment of concurrent power,..

**श्री रशीद मसूद** (सहारनपुर) : किस चीज का पेज 380... (**व्यवधान**)...

**सभापति महोदय** : अगर वह ईल्ड नहीं करते हैं तो दबाव नहीं डाला जा सकता।

**श्री रशीद मसूद** : लेकिन हम कन्फर्म करना चाहेंगे कि किस चीज का पेज 380 है।

**श्री जैल सिंह** : ये सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं।

**श्री जगपाल सिंह** (हरिद्वार) : नाम बतलाइये किस चीज का है, कांस्टीचूशन है, आइ०पी०सी० है, क्या चीज है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : चेयरमैन साहब, गृह मंत्री जी ने बतलाया है कि ये सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं। इस का साइटेशन है--
Supreme Court Cases Volume No. I.
केस का नाम है--
Special Courts Bill, Reference 1978
से पढ़ रहे हैं।

**श्री जैल सिंह** : उनका ख्याल है कि इस की व्याख्या होना जरूरी है। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कल बहस में हिस्सा लिया था, वे बहुत ही लायक और बहुत ही इन्टेलिजेन्ट हैं। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के केसेज का ही हवाला दूंगा, कौन सा पेज है यह खुद ही समझ लेना चाहिये, फिर भी आप ने कह दिया है, अच्छा हुआ, इस की व्याख्या....

**श्री रशीद मसूद** : आप को साइट करना होगा कि कौन सा पेज है, क्या केस है।

**श्री जैल सिंह** : मैं इन मेम्बर साहब का बहुत थैंकफुल हूं, इन्होंने बता दिया कि यह भी रेफर करना चाहिये था। आइन्दा के लिये सारे नाम ले लिया करूंगा आप चिन्ता न करें। हाउस की जानकारी के लिये मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

"We are unable to appreciate how the confirment of concurrent power on the Parliament in place of the exclusive power of the State with respect to the constitution and organisation of certain courts affects the principle of federalism in the form in which our Constitution has accepted and adopted it. It shall not affect the basic structure of federalism."

श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा था कि यूनियन आफ स्टेट्स के लिए, इस फैडरल सिस्टम के लिए यह चीज नुक्सानदेह हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यही राय है कि यह फैडरल सिस्टम को कोई नुक्सान नहीं करती बल्कि इससे उसमें ज्यादा मजबूती आती है, स्टेट और सैंटर के ताल्लुकात बिगड़ते नहीं हैं बल्कि सिमेंट होते हैं। दोनों आपस में किसी बात को ले कर भिन्न भिन्न रायें रखते हैं, भेद रखते हैं तो यह देश की एकता के लिए दुरुस्त नहीं है।

आप मानेंगे कि लोक सभा और राज्य सभा दोनों हाउसिस को जो पार्लियामेंट है, हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है वह किसी और जगह से नहीं आती है। प्रान्तिक लोगों की चुनी हुई वह होती है। वही लोग आ कर यहां सैंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। चुने हुए नुमाइंदों में से जिन की मैजोरिटी होती है वे तो कहें कि क्योंकि हमारी सरकार है इस वास्ते मरकज मजबूत होना चाहिये और जो अपोजीशन में बैठ जाते हैं वे कहें कि मरकज के अख्तयारात ले लेने चाहियें तो यह ठीक नहीं है। देश की मजबूती और ताकत के लिये यह जरूरी है कि स्टेट भी और सैंटर भी, दोनों मजबूत रहें ताकि मुल्क मजबूत रहे। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस मामले पर इत्तिफाक करेंगे।

जिन आनरेबल मैम्बर्स ने आलोचना की है उन्होंने यह भी कहा है कि ज्यूडिशरी के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि या तो उन्होंने इस बिल को समझने की कोशिश नहीं की और अगर समझ गए हैं तो कुछ लोगों को वे मिसगाइड करना चाहते हैं। उनको मिसगाइड नहीं करना चाहिये। ज्यूडिशरी के अधिकार इस में कहीं भी नहीं छीने गए हैं। जो हमारा एक्ट है जिस का एमेंडमेंट हम करना चाहते हैं, उसके अगर सेक्शंज के कोर को आप गौर से देखें तो उन में साफ लिखा हुआ है :

"Special court shall consis of a single judge, who shall be appointed by these High Courts upon the request made by the State Government."

यहां पर गवर्नमेंट हाई कोर्टस को रिक्वेस्ट करती है कि स्पेशल जज दे दो ताकि इस केस की सुनवाई जल्दी हो सके, और डिले न हो। आपको मालूम होगा बेलची में भी वाकया हुआ था और पिपरागांव में भी हुआ था। बेलची के केसिस इतने लमके कि अब तक खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन पिपरागांव में जो एक दुर्घटना हुई उसके लिए स्पेशल कोर्ट मुकर्रर की गई। फैसला फिर भी अदालत ने करना था। लेकिन स्पेशल कोर्ट होने की वजह से उस में जल्दी हुई। उधर एवोडेंस खत्म नहीं हुआ और बेलची का खत्म हो गया। उधर जो मुल्जिम थे वे पकड़े नहीं गए और सरकार ने जल्दी खत्म नहीं किया।

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : कफालटा में क्या हुआ ?

**श्री जैल सिंह** : मैं पता कर लूंगा।

इसके अलावा सैंट्रल गवर्नमेंट के और भी फंक्शंज हैं। माइनारिटीज, वीकर सैक्शंज आफ सोसाइटी, शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रति कोई भी घटना कहीं भी वापर जाए तो मरकजी सरकार को उस तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिये और यह इस सरकार का कर्त्तव्य है। हम यह जो बिल ला रहे हैं वह अपने कर्त्तव्य की पालना करने के लिए ला रहे हैं।

आप जानते हैं कि हमारे कांस्टीट्यूशन में जो आर्टीकिल 355 है, उस में यह लिखा है :

"It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

यह ड्यूटी हम अगर नहीं निभाते हैं, तो हम गफलत करेंगे और हम मुजरिम समझे जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन सारी बातों पर ध्यान रखें।

चेयरमैन साहब, इन बातों के अलावा, कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट्स के अलावा और बातें भी कही गई। मैं हाऊस का वक्त इस पर ज्यादा नहीं खर्च करना चाहता लेकिन मेरे दोस्त आनरेबिल श्री ज्योतिर्मय बसु अपनी तकरीर कर गये और उनका साथ और भी दोस्तों ने दिया लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि डिसकशन तो हो रहा है इस बिल के इन्ट्रोड्यूस होने पर और मेरे लीव मांगने का विरोध करते हुए कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने खालिस्तान के मूवमेंट के लीडर से खुफिया मुलाकात की। मैं पूछना चाहता हूं आनरेबिल मेम्बर से कि खालिस्तान मूवमेंट का नेता कौन है, जानते हो, मैं तो जानता नहीं ? दूसरी बात यह है, चेयरमैन साहब, आप गौर कीजिए कि भारत के गृहमंत्री को किसी से छुप कर मिलने की क्या जरूरत है। मैं मिलना चाहूं, तो मिलूं और न मिलना चाहूं, तो इन्कार कर दूं, मगर यह बात सोच-समझ कर करनी चाहिए आज मैं कह नहीं सकता कि श्री वाजपेयी तशरीफ रखते हैं या नहीं। वाजपेयी जी ने जालन्धर में जा कर कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से

रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जानकारी करें। अब आप देखिये कि अपोजीशन का लीडर और भारतीय जनता पार्टी का प्रेसीडेंट और फिर वे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, कोई साधारण मंत्री नहीं, उन को मालूम होना चाहिए कि यह कितने दिनों से इल्जाम लगा है और अब तक क्या प्रधान मंत्री जी ने इस की जानकारी नहीं की होगी ? क्या प्राइम मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर की तहकीकात करेंगीं। ये दोनों बातें गलत हैं तो मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से कहूंगा कि ये इल्फाज उन को वापस ले लेने चाहिएं। यह अच्छा नहीं है। एक इल्जाम लगाया है। इस से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन यह परम्परा अच्छी नहीं है। आज शाम को इस हाऊस में 6 बजे सेपरिटिस्ट ताकतों के बारे में डिसकशन होगा और जो बातें उस में होंगीं, उन के बारे में मैं उस वक्त विस्तार पूर्वक कहूंगा और इस समय मैं इस मामले पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद और झूठी है।

फिर कहा गया कि इन्दिरा गांधी तो डिक्टोरियल गवर्नमेंट चाहती हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : डिक्टेटोरियल।

**श्री जैल सिंह** : डिक्टेटोरिल, तानाशाही।

Thank you, you have corrected me.

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आप बुरा मत मानिये।

SHRI ZAIL SINGH: You are a learned person.

मैंने आप का शुक्रिया अदा किया है कि आप ने जो मेरा गलत प्रोनेन्शियेसन था, उस को दुरुस्त कर दिया।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : यह हिन्दुस्तान है। इस में प्रोन्शियेसन का कोई सवाल नहीं है।

**श्री जैल सिंह**: चेयरमैन साहब, मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी ने इस से पहले भी

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मुरादाबाद के बारे में चुपचाप हैं।

**श्री जैल सिंह** : उस के बारे में भी कहूंगा। वह मेरे हक में जाता है।

**15 hrs.**

यह भी कहा गया कि कहां की स्टेट की सरकारें हैं, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कहना नहीं मानती। मैं ने इस बात की कोई शिकायत नहीं की कि स्टेट की सरकारें कहना नहीं मानती लेकिन कहीं कहीं देर लगा देती हैं और कहीं उन की मजबूरियां होती हैं। जो मजबूरियां स्टेट सरकार की होती हैं, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नहीं होतीं। मुरादाबाद के वाकयात की जुडीशल इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट से एक सेसन जज लिया। यहां के हाउस की यह फीलिंग्स थीं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेसन जज नहीं, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। मैंने दो-तीन महीने हो गये, स्टेट के मिनिस्टर को इस बात का मशविरा दिया था। (**व्यवधान**)

चेअरमेन साहब आप भी बहुत कोशिश करते हैं कि ज्योतिर्मय बसु डिस्टर्ब नहीं, मैं भी कोशिश करता हूं कि वे डिस्टर्ब नहीं। फिर भी वे डिस्टर्ब होते है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते है। (**व्यवधान**) अगर कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है तो इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।

चेअरमेन साहब, जार्ज बर्नाड शा ने कहा था कि कुछ विद्वान लोग यह गलती करते हैं कि किसी की आधी बात सुनने के बाद ही अपनी राय देना शुरु कर देते हैं।

चेअरमेनसाहब, मैं कह रहा था कि मैंने स्टेट को मशविरा दिया था और उसके स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मान लिया था। उसको मानने के बाद हाई कोर्ट को लिखा कि हमें एक जज दें। लेकिन हाई कोर्ट का एक जस्टिस न मिलने की वजह से वहां इतनी देर हुई। यह

न हमारा कसूर है और न यह हमारी स्टेट गवर्नमेंट का कसूर है। लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि यह हाई कोर्ट का कसूर है।

अभी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, उनके जस्टिस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं विनती के साथ कहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 11 साल पहले हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री के तौर पर हुकूमत की। आज से एक साल पहले वे दुबारा आयीं और एमर्जेंसी लगाने के बाद दुबारा आयीं। एमर्जेंसी के बाद यह सरकार हमारे विरोधियों के पास गयी। उस सरकार ने अपनी सारी ताकत इस बात पर लगायी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, उसके परिवार और उसके साथियों को हर तरह से बदनाम किया जाए। उनके खिलाफ जगह जगह पर कोर्ट मुकर्रर की गयीं, स्पेशल कोर्ट मुकर्रर की गयीं। यही नहीं 20 किताबें श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ छपवायीं और उनका विदेशों में प्रचार किया गया। जब इन्दिरा गांधी इलेक्ट हो कर हाउस में आयीं और सरकार की सारी ताकत के खिलाफ आयीं तो वह सरकार यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसी हाउस में खड़े हो कर मोरारजी भाई ने फैसला दिया कि इन्दिरा गांधी को न सिर्फ इस हाउस से निकाला जाए बल्कि जेलखाने में भी भेजा जाए और यह किया गया। उस वक्त इनको जुबान कहां थी। जनता पार्टी डिक्टेटर थी या श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर थीं। अगर वे डिक्टेटर थीं तो उनके खिलाफ तमाम रेडियो, टी. वी., अखबारों और दुनिया के दूसरे मुल्कों में वहां के अखबारों में सारे प्रोपेगण्डे के बावजूद इस हिन्दुस्तान के लोग फिर उन्हें कैसे ले आये ? आप मुझे यह बताओ कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर बनती हैं तो कौन उन्हें यह बनाता है ? लोग बनाते हैं ?

अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के दिमाग में डिक्टेटर बनने की बात होती तो वे उस समय जनरल इलेक्शन नहीं करातीं। उन्होंने जनरल इलेक्शन कराया और जब वे और उनकी पार्टी हार गयी तो बड़े आदर के साथ उन्होंने अवाम के, जनता के फैसले को कुबूल किया और एक डिफिनफाइड अपोजिशन में बैठ कर हमारी पार्टी ने काम किया।

चेअरमैन साहब, इसलिए यह बात कहना कि हमारी पार्टी की नेता या उनकी सरकार डिक्टेटोरियल हकुमत की तरफ बढ़ रही हैं, यह बिलकुल बेबुनियाद बात है।

**15.05 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी हम ने कदम उठाये हैं, उनके पीछे अवाम की सेंक्शन है, अवाम की मंजूरी है और जनता यह चाहती है कि ये कदम उठाये जाएं।

हम देश की मजबूती के लिए बढ़ रहे हैं। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मफाद या हमारा मफाद जब देश के मफाद के साथ टकराता है तो चाहे पार्टी खत्म हो जाए या हम खत्म हो जाएं, लेकिन हमारे देश पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम तो इस नियम को मानते हैं। हमारी पार्टी वतन के लिए है, हम वतन के लिए हैं, इसलिए देश की एकता को मजबूत करने के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए यदि कोई अनपापुलर कदम भी उठाना पड़ता है तो हम उसको गुरेज नहीं करेंगे।

एक इल्जाम और लगाया गया । वह इल्जाम यह लगाया गया कि केन्द्र में जो कांग्रेस (आई) की सरकार है—जिन प्रांतों में विरोधी-दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को यह कमजोर करना चाहती है, गिराना चाहती है, इसके लिए इंतजाम कर रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि 5 प्रांतों को छोड़कर बाकी सब जगह तो कांग्रेस (आई) की सरकार है । क्या यह तरमीम वेस्ट-बंगाल और केरल में ही लागू होगी, दूसरी जगहों पर लागू नहीं होगी ?

डिप्टी स्पीकर साहब, श्री चन्द्र जीत यादव तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनका बहुत अदब करता हूं, मुझे उनके साथ हमदर्दी है और मेरी प्रार्थना है कि वे तरक्की करें, उन्नति करें । उन्नीकृष्णन जी और चन्द्र जीत यादव जी को जब मैं तकरीर सुन रहा था तो मुझे खयाल आया कि दुनियां कैसे बदल जाती है । जब यह बिल, यह एक्ट बना तो एक्ट बनने के वक्त चन्द्र जीत यादव जी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रीमण्डल में थे और मैं उस वक्त मुख्य मंत्री था और उन्नीकृष्णन जी वर्किंग कमेटी के मेम्बर थे और हमारी पार्टी के मेम्बर थे और उन्होंने राय दी थी कि यह एक्ट बनाया जाए । इनकी राय थी और आज ये कहते हैं कि इसमें तरमीम भी नहीं कर सकते । मैं दोनों दोस्तों को कहूंगा और खासकर के उन्नीकृष्णन जी को कहूंगा, उन्होंने एक प्वाइंट और कहा—वे कहने लगे कि अटार्नी-जनरल को बुलाया जाए, उनकी राय ली जाए । यहां कितने अटार्नी जनरल से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग, समझदार वकील बैठे हैं, तो उनकी राय की क्या जरुरत है—हम अपनों की राय क्यों न लें ? हां अगर किसी प्वाइंट पर जरुरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, लेकिन इस बिल के साथ बिल्कुल रिलेवसी नहीं है । इस लिए उनको नहीं बुला सकते ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को इंट्रोडयूज करने की इजाजत दी जाए ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I would refer to Article 246(2).

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1)."

**श्री जैल सिंह** : क्लाज कौनसी पढ़ रहे हैं ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Article 246 of the Constitution.

SHRI ZAIL SINGH: Article 246 of the Constitution, I have heard. But which clause you are referring to?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Clause (1) and (2). (*Interruptions*). Giani ji....

MR. DEPUTY SPEAKER: You please address me.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let it be conveyed through the Chair. Gianiji is the most befitting Minister of Shrimati Indira Gandhi's Government and we want him to continue with this efficiency.

I am reading Article 246 (2):—

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule."

Let us come to the Seventh Schedule; p. 347 of the Indian Constitution. We have been taken for a ride. We have got a gentleman here, former Law Minister; lat him accept or reject what I say. He has quoted from the Concurrent List, serial No. 2. It says:

"Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of this Constitution."

How does it empower you to bring an enactment to set up special courts? I would like to be educated on that.

Now, you come to p. 348, serial No. 11A which was brought in, inserted, by the Constitution Forty-second Amendment during the era of Emergency, in 1976-77 when we were in jail. It says:

"Administration of justice; constitution and organisation of all courts, except the Supreme Court and the High Courts."

By this, the correct interpretation will become truthful, for a change, that hereby "courts" clearly means that courts as established under the ordinary law of the land. There is no mention about special courts. Therefore, your Bill suffers from inherent legislative incompetence. You have not been able to demolish the argument put forward by the Opposition spokesmen that you are not competent to bring a legislation for setting up special courts. You are trying to encroach upon the States' authority and power and your attempt is political, that is, to bring "law and order" in the Concurrent List.

What about Moradabad riots? The riots had taken place in August and you gave an assurance in the winter session, in December, and on 1st April, you have replied, "No Commission has been constituted." You shed crocodile tears for Muslims. Eight months have passed. Nothing has been done. That is what your intention is. You are only wanting votes, nothing beyond that.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Sir, the Home Minister has already read out the decision of the Supreme Court which bears on this point. I am just reading it out again for the benefit of the hon. Member. This is the same book which was quoted when the hon. Member had raised the objection. This is, 1979, Vol. I, Supreme Court Cases. I am reading out from p. 411.

It says:

"The challenge to the legislative competence of Parliament to provide for the creation of special courts is devoid of substance. Entry 11A of the Concurrent List relates to administration of justice, constitution and organisation of all courts except the Supreme Court and the High Courts. By virtue of article 246(2), the Parliament has clearly the power to make laws with respect to the constitution and organisation, that is to say, the creation and setting up of special courts."

This is the answer the Supreme Court has given. This answer was given when the Janata Party was setting up special courts, to try the Prime Minister, and it was at that time that the Supreme Court gave this decision.

श्री जैल सिंह : मैं सब मेम्बरों का बहुत अदब करता हूं । इस बिल पर, इसकी इंट्रोडक्टरी स्टेज पर कल दो घंटे से ज्यादा समय तक बहस हुई है और उस में किसी भी मैम्बर को आपने नहीं कहा बैठ जाओ । आपने बैल नहीं बजाई । खुद उनकी बैल बजती रही और वे बैठते रहे । अब इतने विद्वान मैम्बर बैठे हुए हैं । अगर वे बात को खत्म न करना चाहें तो न करें । एक अक्लमन्द आदमी इरेलेवेंट बात को भी लेरेवेंट बनाने की कोशिश करता है और इस काम में श्री ज्योतिर्मय बसु माहिर हैं । आप सोचें, किसी विद्वान ने ठीक कहा है जैसे केले के वृक्ष के पात पात में पात, तैसे ही विद्वान की बात बात में बात । जिस तरह केले के वृक्ष में पत्ते ही पत्ते होते हैं और उनको उखाड़ते जाओ, उखा-

बढ़ते जाओ, इनके सिवा कुछ नहीं निकलेगा उसी तरह से मैं यहां बैठे हुए विद्वानों और महापुरुषों से विनती करूंगा कि आप बात तो करते जा सकते हैं लेकिन वह इरेलेवेंट ही होगी । अब छोड़ दीजिये । फैसला तो फिर भी हाउस ने ही करना है । चित्ता बसु जैसे दानिशमन्द पर्सन, एक महान नेता जो सब के खिलाफ लड़कर फिर भी पार्लियामेंट में आते हैं, उनके लिये तो शोभा नहीं देता । क्या कहेंगे ? जो कुछ कहना था कल कह लिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Parulekar, you have already spoken at the time of introduction. You opposed it. Have you any new points?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Sir, the Hon. Home Minister has introduced two new points and I seek clarification. I am not ready to accept the Hon. Home Minister's contention that this is a very light matter and that it can be disposed of very lightly. (*Interruptions.*)

I never said that he said it. That is what he meant. He did not express it. He did not express what he meant.

The Hon. Home Minister referred to Article 355 and said that under those provisions they have got all the powers. I would invite your attention to Article 355 which says:

> "It shall be the duty of Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution."

You will find that this Article is included in Part XVIII "Emergency Provisions". I do not know whether the Hon. Home Minister thinks that today we are living in emergency. The Government cannot invoke at this stage the powers under Article 355. When he says that he relies upon Article 355, it is not correct.

I would ask the Home Minister whether, when there is no Emergency, still he relies on Article 355. That is one clarification I seek.

Another question is whether the Government of India and Parliament gets the power under the Seventh Schedule, clauses (2B) & (II) to declare certain areas as 'disturbed areas'. We are not only concerned with the establishment of courts. Establishment of courts can, at the most, come under the Seventh Schedule 2 or 11A. But there is no Article or Clause either in the Concurrent List or in the Central List of VII Schedule which empowers Parliament to legislate with reference to the declaration of disturbed areas of the State concerned. To that he did not give a reply. He only said that inasmuch as they want to constitute the Courts, the reason for constitution of the court is the declaration of these areas as 'disturbed areas' and, therefore, we come under (11A). I seek clarification on these two points.

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहबा, मैं इनका क्लैरीफिकेशन तो कर सकता हूं, लेकिन मैं पार्लियामेंट में गलत परम्परा नहीं पैदा करना चाहता । जब एक इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर सब ने अपनी-अपनी मंशा के मुताबिक अपने आर्ग्युमेंटस दिये और मैंने अपने आर्ग्युमेंटस दे दिये तो यह मेरा और बापू साहब परुलेकर के कंवीन्स होने का मामला नहीं, यह तो अमानत है हाउस की । मगर एक बात उनको और कहना चाहता हूं कि इसके साथ जो एमर्जेंसी की बात कही (व्यवधान) इखलाकी तौर पर चित्त बसु

जैसे नेता को तो मैं जवाब न दूं और इनको जवाब दे दूं तो दूसरे मेम्बर मुझ से लड़ पड़ेंगे । इसलिये मैं सब का आदर करता हूं, सब की इज्जत करता हूं । इसलिये आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि आप यह परम्परा कायम न करें, इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर एक दफे बोलने के बाद जब मिनिस्टर का जवाब आ जाये तो आपको फैसला करना चाहिये कि लीव दे सकते हैं या नहीं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister had clarified the position.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Don't say that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Home Minister has clarified the position. I have looked into the matter. As regards the question of legislative competence of the House, it is the accepted practice in the Lok Sabha that the Speaker does not give any ruling on the point whether the Bill is constitutionally within the legislative competence of the House or not.

It is open to Members to express their views in the matter and to address arguments for and against the laws.

Members take this aspect into consideration while voting on the motion for leave to introduce the Bill or on a subsequent motion on the Bill. I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Disturbed Area (Special Courts) Act, 1976."

*The Lok Sabha divided.*

AYES

[15.25 hrs.

*Division No. 15]*

Ahmed, Shri Kamaluddin
Anuragi Shri Godil Prasad
Anwar Ahmad Shri
Arakal, Shri Xavier
Banatwalla, Shri G. M.
Bansi Lal, Shri
Barot, Shri Maganbhai
Barway, Shri J. C.
Behera, Shri Rasabehari
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev, Acharya
Bhoi, Dr. Krupasindhu
Bhuria, Shri Dileep Singh
Brar, Shrimati Gurbinder Kaur
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Chaturvedi, Shrimati Vidyawati
Dabhi, Shri Ajitsinh
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri A.C.
Dev, Shri Sontosh Mohan
Dhandapani, Shri C. T.
Digvijay Singh, Shri
Dogra, Shri G. L. a
Doongar Singh, Shri
Ekka, Shri Christopher
Era Anbarasu, Shri
Faleiro, Shri Eduardo
Gadgil, Shri V.N.
Gadhavi, Shri Bheravadan K.
Gamit, Shri Chhitubhai
Gehlot, Shri Ashok
Ghorpade, Shri R. Y.
Gomango, Shri Giridhar
Gouzagin, Shri N.
Jadeja, Shri Daulatsinhji
Jaffer Sharief, Shri C.K.
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Virdhi Chander
Kailash Pati, Shrimati

Khan, Shri Arif Mohammad
Kosalaram, Shri K.T.
Kunwar Ram, Shri
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mahajan. Shri Y.S.
Makwana, Shri Narsinh
Mallikarjun, Shri
Misra, Shri Harinatha
Misra, Shri Nityananda
Mohite, Shri Yashawantrao
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mundackal, Shri George Joseph
Murthy, Shri M. V. Chandrashekhara
Murugian, Shri S.
Muthu Kumaran, Shri R.
Nair, Shri B. K.
Namgyal, Shri P.
Nandi Yellaiah, Shri
Nihalsinghwala, Shri G. S.
Nikhra, Shri Rameshwar
Odedra, Shri Maldevji M.
Panika, Shri Ram Pyare
Parashar, Prof. Narain Chand
Patel, Shri Shantubhai
Patil, Shri A.T.
Patil, Shri Balasaheb Vikhe
Patil, Shri Shankarrao
Patil, Shri Uttamrao
Patil, Shri Veerendra
Patil, Shri Vijya N.
Potdukhe, Shri Shantaram
Qazi Saleem, Shri
Quadri, Shri S. T.
Raju, Shri P. V. G.
Ram, Shri Ramswaroop
Ran Vir Singh, Shri
Rane, Shrimati Sanyogita
Ranga, Prof. N. G.
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri M. Nageswara
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Reddy, Shri K. Brahmananda
Sahi, Shrimati Krishna
Sahu, Shri Narayan
Sahu, Shri Shiv Prasad
Sait, Shri Ebrahim Sulaiman
Satish Prasad Singh, Shri
Scinda, Shri Madhav Rao
Sethi, Shri Arjun
Sethi, Shri P. C.
Shaktawat, Prof. Nirmala Kumari
Shakyawar, Shri Nathuram
Sharma, Shri Chiranji Lal
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Nand Kishore
Sharma, Shri Pratap Bhanu
Singh, Dr. B. N.
Singh Deo, Shri K. P.
Solanki, Shri Babu Lal
Sparrow, Shri R. S.
Sukhadia, Shri Mohan Lal
Sultanpuri, Shri Krishna Dutt
Tayyab Hussain, Shri
Thungon, Shri P. K.
Tripathi, Shri Kamalapati
Vairale, Shri Madhusudan
Varma, Shri Jai Ram
Venkataraman, Shri R
Verma, Shrimati Usha
Vyas, Shri Girdhari Lal
Wagh, Dr. Pratap
Yazdani, Dr. Golam
Zail Singh, Shri
Zainul Basher, Shri

**NOES**

Balan, Shri A. K.
Balanandan, Shri E.
Barman, Shri Palas.
Basu, Shri Chitta.
Bhim Singh, Shri
Bosu, Shri Jyotirmoy.
Chandra Pal Singh, Shri
Chaturbhuj, Shri
Das, Shri R. P.
Deo, Shri V. Kishore Chandra S.

Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Ghulam Mohammad, Shri
Giri, Shri Sudhir
Goyal, Shri Krishna Kumar
Hannan Mohllah, Shri
Jagpal Singh, Shri
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kunhambu, Shri K.
Kurein, Prof. P. J.
Mandal, Shri Mukunda
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mhalgi, Shri R. K.
Mohammed Ismail, Shri
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Nihal Singh, Shri
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Pathak, Shri Ananda
Patnaik, Shri Biju
Rajda, Shri Ratansingh
Ram Kinkar, Shri
Roy, Shri A. K.
Roy Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Shakya, Shri Ram Singh
Shastri, Shri Ramavatar
Singh, Shri B. D.
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri Chandradeo Prasad
Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri Vijay Kumar
Zainal Abedin, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result of the Division is....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, we do not want to be a party to this. In protest we walk out.

*Shri Jyotirmoy Bosu and some other hon. Members then left the House.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is:

Ayes—116

Noes—44

The motion is adopted.

The motion was adopted.

SHRI ZAIL SINGH: Sir, I introduce the Bill.

**15.26 hrs.**

## MATTERS UNDER RULE 377

MR DEPUTY-SPEAKER: Now we take up the matters under Rule 377.

Shri Krishna Kumar Goyal.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): Mr. Deputy Speaker, Sir...

SHRI SONTOSH MOHAN DEV Silchar): Are you not walking out?

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Yes, I have walked out and I have come in again.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansol): This is a fit case for undertiming those Members who abstain from the House while in session because they have left their place of work during the working hours without proper announcement that they are leaving.

(i) POLLUTION OF AIR AND WATER IN INDUSTRIAL TOWN OF KORA, RAJASTHAN

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के

---

*The following Members also recorded their votes:

Ayes: Shri Chuilamani Jena and Shri P. M. Subba, ;

Noes : Shri Devi Lal